न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व विविध : 8/2017
जी.सी.एम.एस. : 2017/00369

प्रार्थीगण	**बनाम**	**अप्रार्थी**
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सोजत		तिलोकराम पुत्र रामलाल गुर्जर निवासी सरदारसमन्द तहसील सोजत जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 20(2) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन) नियम 1970

उपस्थित :-

1. प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री खुशवंत सांखला।

-: निर्णय :-

दिनांकः- 18.3.24

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 20(2) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन) नियम 1970 के तहत आवंटन सलाहकार समिति द्वारा तिलोकराम पुत्र रामलाल गुर्जर के पक्ष में ग्राम सरदारसंमद के खसरा नम्बर 1101 रकगा 1.63 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में नियमन आदेश दिनांक 16.01.2008 एवं उसकी पालन में भरा गया नामान्तरकरण संख्या 883 दिनांक 05.07.2008 के विधि विरूद्ध होने से खारिज करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि सरहद मौजा ग्राम सरदारसमंद तहसील सोजत में खसरा नम्बर 1101 रकबा 1.63 हैक्टर भूमि पर आंवटी तिलोकराम पुत्र रामलाल गुर्जर का अतिक्रमण होने से कृषि प्रयोजनार्थ भुमि आवंटन अधिनियम 1970 के नियम 20 के तहत अप्रार्थी के पक्ष में नियमन की गई है। जैर आराजी पर प्रारम्भ में रामलाल के द्वारा अतिक्रमण किया गया एवं बाद में उसके पुत्रो एवं परिवार के सदस्यों का जैर आराजी पर वर्षो तक अतिक्रमण रहा। लेकिन अतिक्रमणों को नियमति करते समय जैर आराजी का आवंटन नियमन संयुक्त रूप से परिवार के सदस्यों के नाम न कर केवल त्रिलोकराम पुत्र रामलाल गुर्जर के नाम ही कर दिया गया जबकि अतिक्रमी रामलाल के दो पुत्र एवं दो पुत्रिया है जिनके नाम सयुक्त रूप से जैर आराजी का नियमन होना चाहिए लेकिन जैर आराजी के संबध में नियमन आदेश पारित करते समय ऐसा नही किया गया जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। नियमन के नियमों के तहत उपखण्ड अधिकारी निर्धारित परन्तु छः हैक्टेयर की कुल सीमा में रहते हुए अतिक्रमी को 2.5 हैक्टर तक अतिरिक्त भुमि धारित करना अनुमत्य कर सकेगा। पाली जिले में सामान्य श्रेणी के अतिक्रमित के पक्ष में 4 हैक्टर की निर्धारित सीमा से अधिक अतिक्रमित भुमि की नियमन पास की कृषि भुमि बाजार उर के 50 प्रतिशत के बराबर प्रभारित कर किया जा सकेगा। जबकि जैर आराजी के नियमन के समय सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी के नाम निःशुल्क नियमन आदेश जारी कर दिया जबकि अप्रार्थी के पिता रामलाल के नाम पहले से 7.20 हैक्टेयर भुमि की खातेदारी दर्ज है। अप्रार्थी ने आवंटन अधिकारी को गलत तथ्य पेश कर एवं झुठ के आधार पर बिना किसी प्रकार की जांच किये आवंटन नियमों के

अति. जिला कलक्टर, पाली

विरूद्ध जाकर आवंटन आदेश जारी करवा दिया। अप्रार्थी त्रिलोक पुत्र रामलाल के नाम जारी नियमन आदेश दिनांक 16.01.2008 की पालना में भरा गया नामान्तकरण 883 दिनांक 05.07.2008 के आधार पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया। वास्तविकता में अप्रार्थी द्वारा उक्त नियमन की शर्तो की पालना नहीं कर तत्कालीन नियमन/आंवटन अधिकारी के समक्ष मिथ्या तथ्य तथा गलत जानकारी पेश कर गलत तरीके से नियम विरूद्ध जाकर उक्त नियमन आदेश पारित करवाया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी त्रिलोक के पक्ष में नियमन आदेश 16.01.2008 एवं उसकी पालना में भरा गया नामान्तरकरण संख्या 883 दिनांक 05.07.2008 को खारिज करने का आदेश फरमावें।

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने वक्त बहस कथन किया गया है कि अप्रार्थी का जैर आराजी पर अतिक्रमण सम्वत 2061 से 2062 तथा इससे पुर्व अप्रार्थी के पिता का अतिक्रमण था। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रकरण संख्या 401/2005 सरकार बनाम तिलोकराम में पारित आदेश दिनांक 30.09.2005 के द्वारा खसरा नम्बर 1101 रकबा 1.63 हैक्टेयर भूमि का नियमन अप्रार्थी के हक में करने की सिफारिश सहित उपखण्ड अधिकारी सोजत को भिजवाया गया। जैर आराजी का नियमन तहसीलदार के सिफारीश के आधार पर किया गया है एवं उसी आदेश को तहसीलदार द्वारा जैर प्रार्थना पत्र के आधार पर खारिज करवाना चाहते है, जो विधि विरूद्ध है। जैर प्रार्थना पत्र आदेश के संबध मे नामान्तरकरण संख्या 883 दिनांक 05.07.2008 को भरा गया है जिसे लगभग 10 वर्ष से ज्यादा समय हो गया है। 10 वर्ष के पश्चात उक्त आदेश को चैलेन्ज किया जाना न्यायोचित नही है। साथ ही प्रार्थी जैर नियमन आदेश मे किसी प्रकार से पिडित पक्षकार नही है ऐसे में जैर प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नही है। जैर आराजी पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त है। अप्रार्थी भुमिहीन एवं ओ.बी.सी श्रैणी का है जिसके आधार पर जैर नियमन आदेश पारित किया गया है। जैर प्रार्थना पत्र नियमन आदेश नियमन के नियमों की पालना करते हुए विधि अनुसार पारित किया गया हैं।

हमने सरकारी पैरोकार व अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज तथा मूल रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के विवेचन अनुसार तहसीलदार सोजत द्वारा प्रकरण संख्या 401/2005 सरकार बनाम तिलोकराम में पारित आदेश दिनांक 30.09.2005 अनुसार अप्रार्थी तिलोकराम के पक्ष में सिवायचक एवं पहले की खातेदारी भूमि मिलाकर 4.46 हैक्टर भूमि आती है। जिसमें अप्रार्थी तिलोकराम द्वारा नियम से अधिक भूमि होने पर नियमानुसार शुल्क अदा करने को तैयार है। राज. भू.–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 20 (ii) के अनुसार "सामान्य श्रेणी से सम्बन्ध रखने वाले अतिचारी से (4 हैक्टर) से अधिक भूमि की उक्त भूमि के निकटस्थ भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य की 50 प्रतिशत राशि प्रभारित की जायेगी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणियों से सम्बन्धित अतिचारियों से ऐसी भूमि के निकटस्थ भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य की 25 प्रतिशत राशि प्रभावित की जायेगी।" जिसके सम्बन्ध में टीआरए की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी ओबीसी का सदस्य हैं और डी.एल.सी. रेट 400/– रूपये प्रति एयर की दर से कुल कीमत का 1/4 आकलन किया गया जो कुल बाजार कीमत 18400 का 25 प्रतिशत 4600 रूपये भूमि कीमत आंकी गई परन्तु अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की राशि जमा करवाने सम्बन्धी कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है।

तहसीलदार सोजत ने आदेश दिनांक 30.09.2005 के द्वारा खसरा नम्बर 1101 रकबा 1.63 हैक्टेयर भूमि का नियमन अप्रार्थी तिलोकराम पुत्र रामलाल गुर्जर के पक्ष में करने की सिफारिश की गयी। अप्रार्थी द्वारा अतिक्रमित भूमि के नियमन के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी सोजत के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर नोशनल शेयर के आधार पर

अति. जिला कलक्टर, पाली

2.83 हैक्टेयर भूमि होना बताते हुये वर्ष 1980 से अतिकमित जैर आराजी ग्राम सरदारसमंद के खसरा नम्बर 1101 रकबा 1.63 हैक्टेयर के नियमन का निवेदन किया। आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थी तिलोकराम के पक्ष में ग्राम सरदारसमंद के खसरा नम्बर 1101 रकबा 1.17 हैक्टेयर भूमि का नियमन आदेश जारी किया गया। जबकि इस आदेश की पालना में भरे गये नामान्तरकरण के द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में रकबा 1.17 हैक्टेयर भूमि के स्थान पर रकबा 1.63 हैक्टेयर भूमि दर्ज कर दिया गया, जो खारिज योग्य है।

उक्त आराजी के संबध में दिनांक 15.07.1980 से अतिक्रमित खसरे से संबधित रेकर्ड के अवलोकन से पाया गया कि उक्त आराजी पर वर्ष 1980 में तिलोकराम का अतिक्रमण न होकर उसके पिता श्री रामा पुत्र धुला गुर्जर का अतिक्रमण था ऐसे में रामा पुत्र धुला के समस्त विधिक उत्ताराधिकारीयों के नाम जैर आराजी का नियमन आदेश होना चाहिए न की केवल तिलोकराम के पक्ष में। अतः अप्रार्थी ने जैर आराजी का नियमन रामा के विधिक उत्तराधिकारियों के नाम न करवाकर स्वंय के नाम नियमन आदेश पारित करवाया जो न्यायसगंत नहीं होने से काबिले खारिज योग्य है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सरदारसमंद के खसरा नम्बर 1101 रकबा 1.63 हैक्टयर भुमि के संबध में अप्रार्थी तिलोकराम के पक्ष में आवंटन कमेटी द्वारा किये गये नियमन आदेश दिनांक 16.01.2008 एवं उसकी पालना में भरा गया नामान्तरकण संख्या 883 दिनांक 05.07.2008 को खारिज किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति तहसीलदार सोजत को प्रेषित की जावें।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 18/3/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली